दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बृहस्पतिवार 15 अक्तुबर, 2009/अश्वन 23, 1931 (शक)

संख्या-50

विषय:- सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित पुलिस उपायुक्त, जिला दक्षिण, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि श्री सतप्रकाश राणा, विधायक बिजवासन क्षेत्र ने सरकारी कर्मचारी के कार्यालयी कार्यों में बाधा डाली और उनको चोट पॅहुचाई। इस संबंध में पुलिस थाना आर.के.पुरम नई दिल्ली ने एफ. आई. आर. न. 486/09 भा.द.स. धारा 186/353/332/606/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर द्वारा एम.एल.सी. का परिणाम गंभीर बताया गया, अतः भा.द. स. धारा 333 का प्रयोग किया गया।

श्री सतप्रकाश राणा ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जिसे सत्र न्यायालय द्वारा दिनॉक 05.10.2009 को रद्व कर दिया। दिनॉक 09.10.2009 को श्री सतप्रकाश राणा की अग्रिम जमानत याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। दिनॉक 13.10.2009 को श्री सतप्रकाश राणा, विधायक को गिरफतार करके जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Thursday, 15th October, 2009 / Asvina 23, 1931 (Saka)

No. 50

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from the Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Sh. Sat Prakash Rana, MLA from Bijwasan constituency obstructed the Govt. Servant in the discharge of his official duties and inflicted injuries. A case vide FIR No.486/09, U/S 186/353/332/606/34 IPC was registered at Police Station R.K. Puram, New Delhi. The result of the MLC was given as grievous by the doctor; hence Section 333 IPC was applied.

Sh. Sat Prakash Rana applied for anticipatory bail, which was dismissed by the Session Court on 05.10.09. On 09.10.09, anticipatory bail application was accepted by the Hon'ble High Court, Delhi. On 13.10.2009, Shri Sat Prakash Rana, MLA was arrested and released on bail."

SIDDHARATH RAO SECRETARY